

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-07/2026- 609(17) पटना, दिनांक- 29 / 05 / 2026

डा० संगीता सिन्हा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनांक-02.06.2026 से 14.06.2026 तक की अवधि में विदेश (थाईलैण्ड) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० सिन्हा, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेगी।
3. डा० सिन्हा, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेगी।
4. डा० सिन्हा, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेगी।
5. डा० सिन्हा, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगी।
6. डा० सिन्हा, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/एल 1-07/2026- 609(17) /पटना, दिनांक- 29 / 05 / 2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० र० ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/डा० संगीता सिन्हा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/ग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
Hky